वैब साइट/ईमेल के माध्यम से

स.12015/03/2020- रा.भा.(त.क.)

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय

(तकनीकी कक्ष)

एन.डी.सी.सी. II भवन

चौथा तल, जय सिहं रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 04/09/2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" के माध्यम से आयोजित की जा रही अनुवाद प्रतियोगिता।

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 19 अगस्त 2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त प्रतियोगिता को दिनांक 14 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। प्रतियोगिता के संदर्भ में प्रतिभागी ध्यान दें कि उनके द्वारा कंठस्थ की लोकल मेमोरी में किया गया कार्य पूर्ण रूप से ग्लोबलं मेमोरी में जा चुका हो। जब तक प्रयोक्ता का डाटा ग्लोबल टीएम में अपलोड नहीं होगा तब तक उसकी गणना प्रतियोगिता के लिए नहीं की जा सकेगी। यदि किसी यूजर को ग्लोबल टी एम में डाटा अपलोड करने में समस्या आ रही है तो वह राजभाषा विभाग की तकनीकी टीम से संपर्क कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो विभाग से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी ले सकते है।

प्रतियोगिता का परिणाम **दिनांक 18 सितंबर 2020** को घोषित किया जाएगा तथा दिनांक 21 सितंबर 2020 को सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विजेताओं के साथ संवाद किया जाएगा। इस कांफ्रेंस के दौरान प्रथम 10 विजेता अपने अनुभव सीधे सचिव राजभाषा विभाग से साझा कर सकते हैं। वीडियो कांफ्रेंस का लिंक विजेताओं को 20 सितंबर 2020 को कंठस्थ पर पंजीकृत ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

संदीप

(संदीप आर्य)

निदेशक (तकनीकी)

प्रति -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग –अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबंद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
2. भारत सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबंद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।

3. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति , नई दिल्ली
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्टीय सूचना विज्ञान केंद्र - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं ।
5. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशकों की जानकारी में लाएं ।
6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय – अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों,बैंकों,वित्तीय संस्थाओ तथा केंद्र सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की जानकारी में लाएं ।